

The Gazette

of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716] No. 716] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2010/चैत्र 25, 1932

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2010/CHAITRA 25, 1932

गृहं मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2010

🗸 का.आ. 850(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (!) के अनुसरण में एतदृद्वारा यह निदेश देती हैं कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, इस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/4/2009-यटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2010

S. O. 850 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) within that Union Territory.

> [F. No. U-11030/4/2009-UTL] B. BHAMATHI, Ji. Secy.

1397 GI/2010